

इसे

फर्द अहकाम

बनाम

रश्का

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड

केस संख्या 242/2023

क्र०स०

दिनांक  
आज्ञा या  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

12/6/24

पञ्चवती साज पेश दुः सप्लीमण्ट को जारी  
नोटिस जारी राखित होकर छूट हो गया है  
सप्लीमण्ट के माफज जारी जारी कर-2  
आवाज फामे पर सप्लीमण्ट (बेन व डी के सप्लीमण्ट  
उपस्थित नहीं है) मरु उपरान्त इन हीपरी  
रुम पेशी के परिणत किया जाशरी पञ्चवती  
पुस्तक का होकर राखित कर रहे

जिला कलक्टर  
कोटपूतली-बहरोड